

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 201   | कबीरधाम     | श्री रामकिशोर साहू       | प्राचार्य                    | शास0उ0मा0शा0 पाण्डातराई       | शास0उ0मा0शा0 पाण्डातराई                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 202  | सक्ती       | श्री बंशी बिहारी बनावर   | प्राचार्य                    | उ.मा.वि.छितापड़रिया           | उ.मा.वि.छितापड़रिया                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 203   | जांजगीर-चाम्पा | श्री अमृत लाल साहू       | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. चोरिया            | शा.उ.मा.वि. चोरिया                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 204   | मुंगेली     | श्री अनिल कुमार जायसवाल  | प्राचार्य                    | शासकीय.उ.मा.वि. झाफल          | शासकीय.उ.मा.वि. झाफल                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 205   | बिलासपुर    | श्री राजेश कुमार शर्मा   | प्राचार्य                    | शा०उ०मा०वि० सेमरताल, जिला बिलासपुर | शा.उ.मा.वि. सेमरताल, जिला बिलासपुर                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 206   | मुंगेली     | श्री फागु राम साहू       | प्राचार्य                    | शासकीय.उ.मा.वि. कंतेली        | शासकीय.उ.मा.वि. कंतेली                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 207   | बिलासपुर    | श्री मनोज कुमार सन्नाड्य | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. भटचौरा            | शा.उ.मा.वि. भटचौरा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 208   | जांजगीर-चाम्पा | श्री राजेश कुमार तिवारी  | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. झरना              | शा.उ.मा.वि. झरना                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम     |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                          |
| 209   | बिलासपुर    | श्रीमती संगीता पाण्डेय   | प्राचार्य                    | सेजस शा० उ०मा०वि० सेन्दरी, जिला बिलासपुर | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.उ.मा.वि. सेन्दरी, जिला बिलासपुर |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

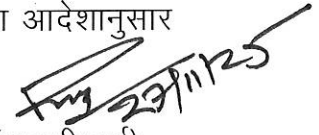
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 210   | जांजगीर-चाम्पा | श्री गिरीराज शरण सिंह    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. सोनसरी            | शा.उ.मा.वि. सोनसरी                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 211   | जांजगीर-चाम्पा | श्री विशेषर प्रसाद कश्यप | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. तागा              | शा.उ.मा.वि. तागा                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 212   | बिलासपुर    | सुश्री लक्ष्मी तिवारी    | प्राचार्य                    | शा.हाई स्कूल मुढ़ीपार         | शा.हाई स्कूल मुढ़ीपार                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 213   | बिलासपुर    | श्री जय कुमार कश्यप      | प्राचार्य                    | शास. हाईस्कूल दर्री, जिला बिलासपुर | शास. हाईस्कूल दर्री, जिला बिलासपुर                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 214   | मुंगेली     | श्री पिनाक दत्त कौशिक    | प्राचार्य                    | शासकीय.उ.मा.वि. अमोरा         | शासकीय.उ.मा.वि. अमोरा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 215   | जांजगीर-चाम्पा | श्री प्रहलाद सिंह कोरम   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. बुड़गहन           | शा.उ.मा.वि. बुड़गहन                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम         | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                     | 6                                                      |
| 216   | बिलासपुर    | श्री संजय शर्मा          | प्राचार्य                    | सेजेश शा.उ.मा.वि. पंधी, जिला बिलासपुर | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेश शा.उ.मा.वि.पंधी                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 217   | जांजगीर-चाम्पा | श्री बालचंद भारती        | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. जावलपुर           | शा.उ.मा.वि. जावलपुर                                    |

3/- उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 218   | सक्ती       | श्री संतोष कुमार साहू    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. फगुरम             | शा.उ.मा.वि. फगुरम                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 219   | जांजगीर-चाम्पा | श्री रमेश भार्गव         | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. भैंसों (सेजेस)    | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.उ.मा.वि. भैंसों             |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 220   | जांजगीर-चाम्पा | श्री राजेश कुमार सिंह    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. लोहर्सी(ख)        | शा.उ.मा.वि. लोहर्सी(ख)                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 221   | जांजगीर-चाम्पा | श्री गोरेलाल चौहान       | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. कोसमंदा           | शा.उ.मा.वि. कोसमंदा                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                            | 6                                                      |
| 222   | बिलासपुर    | श्रीमती सरिता यादव       | प्राचार्य                    | सेजेश शा.बा. उच्च मा. वि.सीपत, जिला बिलासपुर | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेश शा.बा. उच्च मा. वि. सीपत       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 223   | बिलासपुर    | श्री अनिल कुमार साहू     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.बालक मस्तूरी       | शा.उ.मा.वि.बालक मस्तूरी                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 224   | सक्ती       | श्री डुलेश्वर सिंह नायक  | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.सिरियागढ़          | शा.उ.मा.वि.सिरियागढ़                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 225   | बिलासपुर    | श्री चिन्ताराम कश्यप     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. लोहर्सी सोन       | शा.उ.मा.वि. लोहर्सी सोन                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 226   | जांजगीर-चाम्पा | श्रीमती हेमलता गौतम      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. हरदी              | शा.उ.मा.वि. हरदी                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 227   | जांजगीर-चाम्पा | श्री बन्धु स्वर्णकार     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. पहरिया            | शा.उ.मा.वि. पहरिया                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 228   | बिलासपुर    | काशी राम रजक             | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. बुढ़ीखार          | शा.उ.मा.वि. बुढ़ीखार                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 229   | जांजगीर-चाम्पा | श्रीमती ममता शुक्ला      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. नवागढ़ (सेजस)     | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.उ.मा.वि. नवागढ़             |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 230   | सक्ती       | श्री दिलीप कुमार जायसवाल | प्राचार्य                    | शा. हाईस्कूल पलाड़ीखुर्द      | शा.हाई स्कूल पलाड़ीखुर्द                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम    | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 231   | जांजगीर-चाम्पा | आभा देशपाण्डे            | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. कुटीघाट           | शा.उ.मा.वि. कुटीघाट                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 232   | बिलासपुर    | श्री राम गोपाल साहू      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. पौंसरा, जिला बिलासपुर | शा.उ.मा.वि. पौंसरा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 233   | बिलासपुर    | श्रीमती नीलम राय         | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.रानीगांव, जिला बिलासपुर | शा.उ.मा.वि.रानीगांव                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 234   | खै.छु.गं    | श्री अनुराग सिंह         | प्राचार्य                    | डा.प.पु.ब.उ.मा.शा. खैरागढ़ (सेजेस) | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस डा.प.पु.ब.उ.मा.शा. खैरागढ़     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

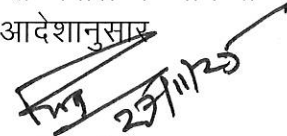
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 235   | खै.छु.गं    | श्री कमलेश्वर सिंह       | प्राचार्य                    | शा.क.उ.मा.शा.खैरागढ़ (सेजेस)  | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शा.क.उ.मा.शा.खैरागढ़           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 236   | सरगुजा      | श्रीमती रंजना श्रीवास्तव | प्राचार्य                    | शा.क.उ.मा.वि. लखनपुर, सरगुजा  | शा.क.उ.मा.वि. लखनपुर, सरगुजा                           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                      |
| 237   | बालोद       | श्री गोविन्द राम भुआर्य  | प्राचार्य                    | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेगाडबरी | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेगाडबरी               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 238   | बालोद       | श्री मुन्ना लाल गौतम     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. ज.सांकरा          | शा.उ.मा.वि. ज.सांकरा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                           | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 239   | दुर्ग       | श्रीमती चन्द्रप्रभा रामटेके | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. मतवारी            | शा.उ.मा.वि. मतवारी                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 240   | बेमेतरा     | श्री रोहित दास गहिरे     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.कटई                | शा.उ.मा.वि.कटई                                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

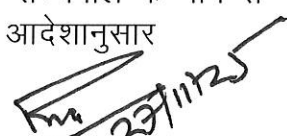
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 241   | बालोद       | श्री शिव कुमार साहू      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. डुण्डेरा          | शा.उ.मा.वि. डुण्डेरा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम   |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                                        |
| 242   | दुर्ग       | श्री रोहित कुमार चंदेल   | प्राचार्य                    | सेजेस हिन्दी माध्यम पेण्ड्रावन | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि.हिन्दी माध्यम पेण्ड्रावन |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 243   | बैमतरा      | श्री अर्जुन कश्यप        | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.हरदुवा             | शा.उ.मा.वि.हरदुवा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 244   | बेमेतरा     | श्री अनुप कुमार वर्मा    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.छिरहा              | शा.उ.मा.वि.छिरहा                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 245   | बालोद       | श्री पुरुषोत्तम कुमार साहू | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.भिरई              | शास.उ.मा.वि.भिरई                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 246   | दुर्ग       | श्री अनिल कुमार गजपाल    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. थनौद              | शा.उ.मा.वि. थनौद                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                      | 6                                                      |
| 247   | बालोद       | श्रीमती सरोज साहू        | प्राचार्य                    | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहंदा | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहंदा                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 248   | बालोद       | श्री बिसन कुमार मेश्राम  | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.गुरेदा            | शास.उ.मा.वि.गुरेदा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम     |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                          |
| 249   | दुर्ग       | श्रीमती किरण साहू        | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. हिन्दी माध्यम जेवरा सिरसा | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. हिन्दी माध्यम जेवरा सिरसा |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 250   | बालोद       | श्री मनहरण लाल सार्व     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. पीपरछेड़ी         | शा.उ.मा.वि. पीपरछेड़ी                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्येधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 251   | बेमतरा      | श्री राम कृपालु वैष्णव   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.गुधेली             | शा.उ.मा.वि.गुधेली                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम           | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम    |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                       | 6                                                         |
| 252   | बालोद       | श्री पूरन लाल साहू       | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. अंग्रेजी माध्यम अरमरीकला | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. अंग्रेजी माध्यम अरमरीकला |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 253   | बेमेतरा     | श्री संजय कुमार शर्मा    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.बैजलपुर            | शा.उ.मा.वि.बैजलपुर                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम       |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                 | 6                                                            |
| 254   | बालोद       | श्रीमती मधुमाला कौशल     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.सिकोसा (सेजेस सिकोसा अंग्रेजी माध्यम) | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस अंग्रेजी माध्यम शशास. उ.मा.वि.सिकोसा |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 255   | बेमेतरा     | श्री टेसूराम पटेल        | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.लेंजवारा           | शा.उ.मा.वि.लेंजवारा                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 256   | बेमेतरा     | श्रीमती संगीता राजपूत    | प्राचार्य                    | शा.क.उ.मा.वि.साजा             | शा.क.उ.मा.वि.साजा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 257   | दुर्ग       | श्रीमती वीणा दुबे        | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. खोपली             | शा.उ.मा.वि. खोपली                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 258   | बेमेतरा     | श्री महेश कुमार साहू     | प्राचार्य                    | शा.बा.उ.मा.वि.देवकर           | शा.बा.उ.मा.वि.देवकर                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 259   | दुर्ग       | श्री कृष्ण कुमार पहेरी   | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि.घुघुवा क        | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि.घुघुवा क               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 260   | बालोद       | श्री शेष लाल साहू        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.कनेरी             | शास.उ.मा.वि.कनेरी                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अन्वये होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम  | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                         | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 261   | सक्ती       | श्रीमती राजेश्वरी चन्द्रा | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. कन्या पोता        | शा.उ.मा.वि. कन्या पोता                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम     | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                            | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 262   | बालोद       | श्री राजेन्द्र प्रसाद देशमुख | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.चौरेल              | शा.उ.मा.वि.चौरेल                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 263   | बालोद       | श्री बिसेसर राम साहू     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.कमरौद              | शा.उ.मा.वि.कमरौद                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम     | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                            | 4                            | 5                                                 | 6                                                      |
| 264   | बालोद       | श्री विरेन्द्र कुमार भण्डारी | प्राचार्य                    | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक डौण्डीलोहारा | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक डौण्डीलोहारा      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 265   | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | श्री विजय कुमार ठेठवार   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.केडार              | शा.उ.मा.वि.केडार                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 266   | रायगढ़      | श्री छबीलाल चौधरी        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. कांशीचुवा        | शास.उ.मा.वि.कांशीचुवा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 267   | रायगढ़      | श्रीमती किरण सेठी        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.धनागर             | शास.उ.मा.वि.धनागर                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 268   | रायगढ़      | कु. जे.सुजाता राव        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. महापल्ली         | शास.उ.मा.वि.महापल्ली                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम  | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम             | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम    |
|-------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                         | 4                            | 5                                         | 6                                                         |
| 269   | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | श्री पीताम्बर प्रसाद पटेल | प्राचार्य                    | स्वा.आत्मा. उत्कृष्ट हि.मा.उ. मा.वि.छिन्द | प्रतिनियुक्ति पर, स्वा.आत्मा.उत्कृष्ट हि.मा.उ.मा.वि.छिन्द |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 270   | रायगढ़      | श्री भरत कुमार गुप्ता    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. कोडपाली          | शास.उ.मा.वि.कोडपाली                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसारं

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम        |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                              | 6                                                             |
| 271   | बस्तर       | श्रीमती शाहिन शेख        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. पण्डरीपानी (सेजेस हिन्दी माध्यम ) | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस हिन्दी माध्यम शास.उ. मा.वि.पण्डरीपानी |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।  
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 272   | दुर्ग       | श्रीमती लक्ष्मी धुरधुर   | प्राचार्य                    | शास.हाईस्कूल गनियारी          | शास.हाईस्कूल गनियारी                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 273   | गरियाबंद    | श्री हरिकृष्ण भार्गव     | प्राचार्य                    | शास. उ.मा.वि. कोपरा           | शास. उ.मा.वि. कोपरा                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2                  | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 274  | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री हरि राम<br>साहू     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.<br>सिरियाडीह     | शास.उ.मा.वि.<br>सिरियाडीह                              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                           | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 275   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री फणेन्द्र कुमार जायसवाल | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. सुतीउरकुली       | शास.उ.मा.वि. सुतीउरकुली                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 276   | महासमुन्द   | श्री सम्मे सिंग ठाकुर    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. भुरकोनी जिला महासमुन्द | शा.उ.मा.वि. भुरकोनी जिला महासमुन्द                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 277   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री तीजराम कुर्र        | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.दुरुग             | शास.उ.मा.वि.दुरुग                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 278   | धमतरी       | श्री नरेन्द्र कुमार धीवर | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.कठौली              | शा.उ.मा.वि.कठौली                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                           | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 279   | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री उमेश्वर<br>कुमार वर्मा | प्राचार्य                    | शा.उच्च.मा.वि. अमेरा          | शा.उच्च.मा.वि. अमेरा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 280   | गरियाबंद    | श्रीमती वंदना अग्रवाल    | प्राचार्य                    | शास. ठा.द.उ.मा.वि. फिंगेश्वर  | शास. ठा.द.उ.मा.वि. फिंगेश्वर                           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम         | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                     | 6                                                      |
| 281   | महासमुन्द   | श्री रूपानंद प्रधान      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. तेन्दूकोना जिला महासमुन्द | शा.उ.मा.वि. तेन्दूकोना जिला महासमुन्द                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 282   | गरियाबंद    | श्री राम कुमार साहू      | प्राचार्य                    | शास. हाईस्कूल सिंधौरी         | शास. हाईस्कूल सिंधौरी                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम     |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                          |
| 283   | महासमुन्द   | गिरीजा साहू              | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि.<br>बसना जिला<br>महासमुन्द | प्रतिनियुक्ति पर,<br>सेजेस उ.मा.वि. बसना<br>जिला महासमुन्द |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 284   | दुर्ग       | श्रीमती निवेदिता ठाकुर   | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. अमलेश्वर       | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. अमलेश्वर              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 285   | रायपुर      | सुरेश कुमार देवांगन      | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.निसदा             | शास.उ.मा.वि.निसदा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 286   | धमतरी       | श्री अजीत कुमार ध्रुव    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.डाही               | शा.उ.मा.वि.डाही                                        |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 287   | ब.बा.<br>-भाटापारा | डा. अर्चना वर्मा         | प्राचार्य                    | शा.ब.उ.मा.वि.<br>भाटापारा     | शा.ब.उ.मा.वि.भाटापारा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 288   | महासमुन्द   | श्री मुकेश कुमार डड़सेना | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. गोडबहाल          | शास.उ.मा.वि. गोडबहाल                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 289   | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री बिराजो<br>पैकरा     | प्राचार्य                    | सेजेस हि.मा.शा.उ.<br>मा.वि. बलौदा | प्रतिनियुक्ति पर,<br>सेजेस हि.मा.शा.उ.मा.<br>वि. बलौदा |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

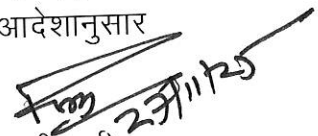
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 290   | महासमुन्द   | श्री लल्लू राम सिन्हा    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. गोपालपुर          | शा.उ.मा.वि. गोपालपुर                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 291   | महासमुन्द   | श्री देवनारायण साहू      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. झारा              | शा.उ.मा.वि. झारा                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 292   | महासमुन्द   | श्री शशिभूषण बरिहा       | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. बुन्देली          | शा.उ.मा.वि. बुन्देली                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 293   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री मिलकेतन लाल पटेल    | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. पवनी           | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. पवनी                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 294  | रायपुर      | श्रीमती कृष्णा देवांगन   | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.पिपरौद            | शास.उ.मा.वि.पिपरौद                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 295   | महासमुन्द   | श्री भोपाल सिंह बंजारा   | प्राचार्य                    | शा.हाई स्कूल खोपली            | शा.हाई स्कूल खोपली                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 296   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री हेमचंद्र अनंत       | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. गाताडीह        | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. गाताडीह               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 297   | महासमुन्द   | श्री नारायण चौधरी        | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. खम्हरिया          | शा.उ.मा.वि. खम्हरिया                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 298   | महासमुन्द   | श्री तरुण कुमार पटेल     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. पिरदा            | शास.उ.मा.वि. पिरदा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 299   | रायपुर      | श्री पुरुषोत्तम साहू     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.चापांझर           | शास.उ.मा.वि.चापांझर                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 300   | महासमुन्द   | श्री दीपक कुमार देवांगन  | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. सांकरा         | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. सांकरा                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

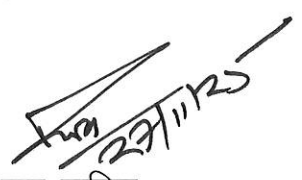
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



पृ.क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीनः  
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

- 1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
  - 2/ निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
  - 3/ मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
  - 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
  - 5/ संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
  - 6/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर।
  - 7/ प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग.रायपुर।
  - 8/ समस्त कलेक्टर छ.ग.।
  - 9/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, छ.ग.।
  - 10/ प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग.।
  - 11/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - 12/ समस्त प्राचार्य डाइट/बाइट छ.ग.।
  - 13/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.।
  - 14/ समस्त संबंधित प्राचार्य शा.हाई स्कूल/उ.मा.वि.....छ.ग.।
  - 15/ सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री/.....छ.ग.।
  - 16/ गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग